


निरीक्षण प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

प्रखण्ड कार्यालय : फुलपरास

निरीक्षण की तिथि : 23-12-2002

डा० बी० राजेन्द्र

शा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, मुख्यनी द्वारा दिनांक 23-12-2002 को प्रुड कायलय, पुनपरास का किये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण रिपुर्ण ।

१।१ परिचय:-

पुनपरास प्रुड की स्थापना ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2920 दिनांक 31-3-1997 के द्वारा हुई । यह प्रुड घोघरडीहा प्रुड से विभाक्त होकर दिनांक 31-3-1997 को अस्तित्व में आया । जिला मुख्यालय से इस प्रुड की दूरी लगभग 65 कि०मी० है और अनुमण्डल मुख्यालय से इसका दूरी मात्र 2 कि०मी० है । इस प्रुड में जाने जाने हेतु आवागमन के लिए बस/ट्रैकर उपलब्ध है । इस प्रुड का निकटतम रेलवे स्टेशन घोघरडीहा है, जो प्रुड मुख्यालय से 12 कि०मी० की दूरी पर दक्षिण में है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है । इस प्रुड से 8 कि०मी० की दूरी पर प्रसिद्ध जगेश्वर महादेव मंदिर है, जो घोघरडीहा प्रुड में है और सुप्रसिद्ध परसा सूर्यमंदिर बगल के शंभारपुरप्रुड में है । इतिहास प्रसिद्ध कमलादित्य स्थान निकट के अंधराठाढ़ी प्रुड में है ।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में इस प्रुड ने अणुताभूमिका अदा की थी । सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पं० कपलेश्वर झा रागास्त्री, ग्राम-पुनपरास को भारत के प्रथम माननीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने घर पर आकर सम्मानित किया था । अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में स्व० देव नारायण गुरभैता, ग्राम-गोडियारी, पं० देवनारायण तिवारी, पुनपरास, पं० काश गिनाथ झा, जोपा, स्व० देवकुण्डा कुंवर, धर्मडीहा, स्व० नसीब लाल यादव, सिसवाबरही, स्व० जीवठ यादव तथा स्व० रसिक लाल यादव के नाम अग्रण्य हैं । प्राकृतिक रूप से यह भेदुमा रवं भूतही बलान नदियों से घिरा है । प्रति वर्ष इसके प्रकोप को झेलने के लिए पुनपरास के लोग अभिभूत हैं । निरीक्षण के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, पुनपरास रवं प्रुड विकास पदाधिकारी, पुनपरास उपस्थित थे । इस प्रुड के संबंध में सामान्य सूचनाएं निम्नप्रकार हैं :-

१।१.१ चौदहदी :-

इस प्रुड के उत्तर में छटौना प्रुड, दक्षिण में घोघरडीहा प्रुड, पूरब में लौकही तथा पश्चिम में अंधराठाढ़ी प्रुड का क्षेत्र है ।

१।१.२ जनसंख्या :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या :- 1,30,019

लगातार... 2/-

कुल पुरखों की संख्या
कुल महिलाओं की संख्या

66,782
63,237

१११ विधानसभा/महाविधानसभा :-

कुल प्राथमिक विधानसभाओं की संख्या
कुल माध्य विधानसभाओं की संख्या
कुल उच्च विधानसभाओं की संख्या
कुल महाविधानसभाओं की संख्या
कुल बुनियादी विधानसभाओं की संख्या

48
11
05
01
01

गैर अतिमूल

११२ प्रदेस का कुल क्षेत्रफल
११३ कुल कृषि योग्य भूमि

सिंचित भूमि
उच्च भूमि
माध्य भूमि
नीची भूमि
असिंचित भूमि
उच्च भूमि
माध्य भूमि
नीची भूमि

16,934 63 हे०
12,546 04 हे०
4,573 00 हे०
3,134 01 हे०
4,706 00 हे०
4,706 00 हे०
7,973 01 हे०
1,567 01 हे०
2,700 00 हे०
3,706 00 हे०
42

2 १ तौफिर -126 धाना नं० सर्व ब्रह्मोत्तरा

कुल हल्कों की संख्या
कुल ग्राम पंचायतों की संख्या
कुल सहकारिता पैक्स की संख्या
कुल धाना
खिलापरिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

07
14
08
01
03
21

लगातार... 3/-

११४
११५
११६
११७

११त	पंचायत सदस्यों की संख्या	200
११थ	रेफरल अस्पताल की संख्या	1
११द	स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या	4
११घ	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	3
११न	पशु चिकित्सालयों की संख्या	1
११प	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की संख्या	3
११फ	विद्युत सबस्टेशन की संख्या	1
११ब	राजकीय नलकूपों की संख्या	27
११भ	निजी नलकूपों की संख्या	626
११म	कुल तालाबों की संख्या	65
११य	डिजल चालित पम्प सेट	448
११र	नहर/नदी	उर पिपट्टी/सिसवार/फलकाही-नहर, भूतही बलान/गेहमानदी
११ल	व्यवसायिक बैंकों की संख्या	1 इलाहाबाद बैंक, मन्सापुर, फूलपरस
११व	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	3
११श	दूरसंचार केन्द्र की संख्या	1
११स	कुल जनवितरण प्रणाली दूकानदारों की सं०	72
	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सेवसित परिवारों की संख्या	11701

११११ भवन :-

ग्रुंड कार्यालय अपने निजीभवन में अवस्थित है । ग्रुंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया है । स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है । बताया गया कि इसका निम्नलिखित भी अधुरा है , जिसके कारण कार्यों के सम्पादन में कार्यालय कर्मियों को दिक्कत होती है । ग्रुंड परिसर में ग्रुंड विकास पदाधिकारी का आवास बहुत ही जर्जर स्थिति में है । ग्रुंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी आवासीय भवनों की स्थिति दयनीय है । ग्रुंड परिसर का झरना किया गया । ग्रुंड परिसर के पीछे बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है । ग्रुंड विकास पदाधिकारी, फूलपरस, जो अंजल अधिकारी भी हैं, को निर्देश दिया जाता है कि इसकी जाँच कर एक माह के अन्दर एक प्रतिवेदन अधीनस्थकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे । कार्यालय एवं आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु कार्यालय पत्रांक 24/मु0, दिनांक 19-12-02

लगातार.....५/-

द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माणा प्रमाणन, मधुबनी से अनुरोध किया गया है, परन्तु मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। पुनः प्रुड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माणा प्रमाणन, मधुबनी को पुर्न पत्र के प्रकाश में मरम्मत हेतु अनुरोध करें एवं उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें ताकि इस स्तरसे भी उन्हें निर्देशित किया जा सके।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रुड एवं अंका कार्यालय के स्थापकमरों को स्थापित किया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है। कार्यालय साफ-सुथरा पाया गया। प्रुड कार्यालय के विभिन्न आलमीरा का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि आलमीरा में पुराने संविदाओं को कर्नवार/विषयवार वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसे वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया। प्रुड परिसर में ही प्रवेश करने के उपरान्त दीवाल पर पुराना बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिसमें पुरानी योजनाओं का जिक्र है। प्रुड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड पर नये सिरे से प्रुड में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए टंगवाना सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को सरकार द्वारा कलाया जा रही योजनाओं की जानकारी हो सके।

३३॥ प्रभार :-

डा० रंगनाथ चौधरी, अंका अधिकारी, जूनापुरास दिनांक 29-10-2002 से प्रुड विकास पदाधिकारी के प्रभार में हैं। इनसे पुर्न श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जूनापुरास इस प्रुड के प्रुड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे। श्री देवेन्द्र नारायण ठाकुर, दिनांक 1-9-2001 से प्रधान सहायक के प्रभार में हैं। इनके पुर्न श्री विजय नारायण लाल दास, प्रधान सहायक के प्रभार में थे। श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, लेखा लिपिक, दिनांक 5-9-2001 से नाजिर के प्रभार में हैं। इनसे पुर्न श्री अरूण कुमार झा, लेखा लिपिक नवरात के प्रभार में थे।

प्रुड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के प्रुड विकास पदाधिकारी/अंका अधिकारी का पदस्थापन सूची का बोर्ड नीचे रखा हुआ पाया गया, जिसे अर टंगवाने का निर्देश दिया गया। स्थापना काल से प्रुड विकास पदाधिकारियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी कानाम	सेवा संवर्ग
1-	श्री अजय कुमार सिन्हा	बि०ग०से०
2-	श्री राम चन्द्र प्रसाद प्रभारियों	तदैव
3-	श्री अवध बिहारी सिंह यादव	बि०ग०से०

अवधि
11-12-87 से 12-04-89 तक
12-04-89 से 10-07-90 तक
10-07-90 से 05-08-96 तक

लगातार.....5/-

:: 5 ::

4-	श्री योगेश्वर लाल भगत प्रभारी	बि०प्र०से०	03-08-96 से 06-10-96 तक
5-	श्री राम शंकर राम प्रभारी	तदेव	06-10-96 से 17-10-97 तक
6-	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी	तदेव	17-10-97 से 05-02-97 तक
7-	श्री राम बिलास यादव	बि०कु०से०	05-02-97 से 22-07-98 तक
8-	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी	बि०प्र०से०	22-07-98 से 27-07-98 तक
9-	श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह	बि०कु०से०	27-07-98 से 31-10-2000 तक
10-	श्री कुमारभिक्षिेशा प्रसाद प्रभारी	बि०प्र०से०	31-10-00 से 29-10-2002 तक
11-	डा० रंजनाथ चौधरी प्रभारी	बि०प्र०से०	29-10-2002 से अज्ञत 1

४५ स्थापना :-

इस प्रवृत्त में पदाधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य स्थापना से संबंधित स्वीकृत बका की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बका	कार्यरत बका	रिक्ति
1-	प्रवृत्त विकास पदाधिकारी	1	1	1
2-	प्रवृत्त कृषि पदाधिकारी	1	1	1
3-	प्रवृत्त पशुपालन पदाधिकारी	1	1	1
4-	प्रवृत्त सांख्यिकी पदाधिकारी	1	1	1
5-	ग्राम पंचायत पयविक्षक	1	1	1
6-	कनीय अभियंता	2	2	2
7-	प्रवृत्त सडकारिता प्र०पदाधिकारी	1	1	1
8-	प्रवृत्त कल्याण पदाधिकारी	1	1	1
9-	मडिला प्रसार पदाधिकारी	1	1	1
10-	वरिय प्रवर कोटि सहायक	1	1	1
11-	सहायक	4	3	1
12-	कनीय छेडा लिपिक प्रन०आर०ई०पी०	1	1	1
13-	लेखा लिपिक	1	1	1
14-	अनियोजन सांख्यिक भन्ता सहायक	1	1	1
15-	उर्द अनुवादक	1	1	1

लगतार...६/-

16-	सहायक उर्दू अनुवादक	1	1	1
17-	उर्दू टंकक	1	1	1
18-	ग्राम सेविका	2	1	1
19-	दवायत सेवक	14	9	5
20-	जनसेवक	10	1	10
21-	जीपचालक	1	1	1
22-	अनुसेवक/ग्रांटवि०/बूँद	3	1	2
23-	अभियोजन सैकितक भत्ता	1	1	1
24-	प्रमुख का आदेशपाल	1	1	1
25-	जर्नलरवाहक	1	1	1
26-	रात्रि प्रहरी	1	1	1
27-	ब्राडकमरा	1	1	1
कुल:-		56	23	33

प्रुड विकास पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न कोटि के रिक्तियों के कारण इस प्रुड के कार्यकाल में अधिस्थित प्रुगति नही हो पा रही है । उन्होंने बताया कि कार्यालय पत्रांक 22/मु० दिनांक 19-12-2002 द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया है । स्थापना उप समाह्वतर्ता, मधुबनी को निर्देशा दिया जाता है कि इस प्रुड में रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु सभी संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार करें ।

स्वाकृत बल के अनुसार निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम/स्थायी पता एवं प्रुड में योगदान देने की तिथि निम्नवत है :-

क्र०	नाम	पदनाम	स्थायी पता	योगदान की तिथि
1-	डा० रंगनाथ चौधरी	प्र०वि०पदा०	ग्राम-सुलतानपुर, पो०-बेरी, धाना-	29-10-2002
2-	श्री भोगेन्द्र राय,	प्र०स०उपविषयक	कशोरवरस्थान, जिला-दरभंगा ।	20-09-1998
3-	श्री विन्देश्वर सहनी	कनीय अभियंता	ग्राम-पो०-नरुआ, जिला-समस्तीपुर	16-02-2002

लगातार... 7/-

:: 7 ::

4-	श्री संदेशचन्द्र राय	कनाथ अभियंता
5-	श्री उज्ज्वल कुमार निधि	PROSO PROपदा TO
6-	श्री देवेन्द्र नारायण ठाकुर	PROसहायक
7-	श्री अजित कुमार श्रीवास्तव	लेखा लिपिक
8-	श्री नारायणजी शर्मा	सहायक
9-	श्री कुमारशिव संतोष	सहायक
10-	श्री योगेश किशोर गुप्ता	सहायक
11-	श्री बाबू लाल गुप्ता	जनसेवक
12-	श्रीमती सरोज कुमारी	ग्राम सेविका
13-	श्री सीतारामकेशरारी	पंचायत सेवक
14-	श्री द्विवेन्द्र मलिक	पंचायत सेवक
15-	श्री उषेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक
16-	श्री लक्ष्मेश्वर प्रोयादव	पंचायत सेवक
17-	श्री राम उदार यादव	पंचायत सेवक
18-	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	पंचायत सेवक
19-	श्री सुभमलाल श्रीवा	पंचायत सेवक
20-	श्री गंगा राजत	पंचायत सेवक
21-	श्री युगेश्वर यादव	पंचायत सेवक
22-	श्री गणेश राय	जीपचालक

ग्राम-पौडावाजपुर, मन्डार, जिला-गंगानगर 330908	01-05-1998
दरभंगा	
ग्राम-पौडा-नमरिया, प्रुई-लखनौर जिला-मधुबनी ।	01-09-2001
ग्राम-पौडा-बलावा, पौडा-साहर, जिला-मधुबनी ।	05-09-2001
ग्राम-पौडा-ब्रह्मपुरा जिला-मधुबनी ।	29-05-2000
ग्राम-पौडा-पिहरडी, थाना-बाबुबरडी जिला-मधुबनी ।	15-10-2001
ग्राम-पौडा-मोकामा, जिला-पटना जिला-मधुबनी ।	18-12-2001
ग्राम-गौठ परसाही, जिला-मधुबनी	13-02-2002
ग्राम-किसनीपट्टी, पौडा-कुलपरसा जिला-मधुबनी ।	01-10-1990
ग्राम-भरफोरी, पौडा-बलावा, लौकही जिला-मधुबनी ।	08-02-2002
ग्राम-पौडा-सुदय रतौली, थाना- घोषरडीहा, जिला-मधुबनी ।	10-02-2002
ग्राम-धाबियाही, पौडा-कहडी, थाना- लौकही, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
ग्राम-पौडा-बसुआरी, थाना-घोषरडीहा जिला-मधुबनी ।	08-02-2002
ग्राम-बौरहा, पौडा-माधोपुर, थाना-लखनौर	09-02-2002
सेवापुरस्त अपात्स	
सेवापुरस्त अपात्स ।	
सेवापुरस्त अपात्स ।	
सेवापुरस्त अपात्स ।	
ग्राम-ब्रह्मोत्तरा, पौडा-पंडौल जिला-मधुबनी ।	13-01-1994

लगानार... 8/-

:: 8 ::

23- श्री प्रभाकर मिश्र अनुभवक शांभू-पीओ-सीआइटा, वाड नं०-12, 24-06-2002
जिला-मधुबनी ।
24- श्री प्रियस राम शताडुकश्री हौस्पीटल रोड, मधुबनी 02-12-1996

§5§ पूर्व निरीक्षण :-

इस प्रबंध का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण रिपोर्टि प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री सोरभंजर, उप विकास आयुक्त, मधुबनी ।	28-07-2001	-	-
2-	श्री जगदीश शर्मा, जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी ।	15-01-1993	29-01-1993	25-02-1993
3-	श्री वसंत अंशारी, जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी ।	24-09-1994	06-10-1994	18-06-1995
4-	श्री सोबेइठॉ, अनुभवक पदाधिकारी, फूलपुरास ।	19-12-1992	03-08-1993	-
5-	श्री रामचन्द्र प्रसाद, प्रबंध विकास पदाधिकारी, फूलपुरास ।	09-03-1990	31-03-1990	01-04-1990
6-	श्री उमेश चन्द्र दास, कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी ।	21-05-1990	18-08-1990	07-09-1990

प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टियों का रक्षी संविदाई संघारित है । रक्षी संविदा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्डैक्सिंग नहीं किया गया है । प्रश्नान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण रिपोर्टि के उपर्युक्त अर्किडटा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रबंध का पूर्व में किसीजिला पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा 2001 के बाद, जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा वर्ष 1994 के बाद, अनुभवक पदाधिकारी, फूलपुरास द्वारा वर्ष 1992 के बाद, प्रबंध विकास पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1990 के बाद रव कार्यालय अधीक्षक,

लगातार... 9/-

मधुबनी द्वारा वर्ष 1990 के बाद इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो विन्ता की बात है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक निबंधी पदाधिकारी को अपने प्रायास का वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण करना है, जो नहीं किया गया है। सभी निरीधी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत नियमानुसार कार्यालय का निरीक्षण सुनिश्चित करें। उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री वसिम अंसारी, जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन काफी विलम्ब से किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री रजेंद्र ठाकुर, अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपारा द्वारा इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है, जो खेद की बात है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त के रस माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। यदि निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित करें।

४६४ सेवापुस्तिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 162 वि.से.सं. के नियम 288 एवं 299 के तहत वि. वि. नियमावली खण्ड-1 के नियम 101 एवं 102 के अनुसार अनुसूची-53 फार्म-80 ए.जी. बी. फार्म नं०-239 प्रपत्र में सेवापुस्तिका संघारित है। इस प्रखंड का स्वीकृत बल 56 के विरुद्ध कुल 22 बल पदस्थापित हैं, जिसमें से 15 कर्मियों का सेवापुस्तक उपलब्ध है। प्रखंड में पदस्थापित विभिन्न सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका का अवलोकन किया गया। सेवापुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सेवा सत्यापन अद्यतन है परन्तु अवकाश लेखा अद्यतन नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। बताया गया कि निम्नंकित सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड से अग्रस्त है :-

1- श्री वीरेन्द्र कुमाल यादव	पंचायत सेवक	अंधराठाढ़ी प्रखंड
2- श्री शुभग लाल भोयी	पंचायत सेवक	सुटौना प्रखंड
3- श्री गंगा राउत	पंचायत सेवक	मधेपुर प्रखंड
4- श्री युगेन्द्र यादव	पंचायत सेवक	बेनीपट्टी प्रखंड
5- श्री उज्जवल कुमार निधि	PROBUDRO	हाथाघाट प्रखंड
इसके अतिरिक्त श्री नारायण जी मिश्र, सहायक की सेवापुस्तक में नियुक्ति पत्र की प्रिविडिट प्रथमक्रेटवा गलत अंकित होने		

के कारण सम्पुष्टि एवं आवश्यक रुपार हेतु स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 14-12-2002 द्वारा सेवापुस्तिका भेजा गया है। इसी प्रकार श्री बाबू लाल गुप्ता, जनसेवक का सेवापुस्तिका महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।

पुस्तिका पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से आना बाकी है, उनसे पत्राचार कर अद्विज्ज मंगलाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण इस पुस्तिका से अन्यत्र हो गया है, उनका सेवापुस्तिका उनके नये पदस्थापन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

§7§ सामान्य भविष्य निधि पात्रलुक :-

कार्यालय में सहायक एवं अनुसेवकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पात्रलुक संघारित की गयी है, परन्तु निरीक्षण के समय मात्र निम्नलिखित सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पात्रलुक उपलब्ध कराया गया :-

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1- श्री गणेश राय, | जीप वालक |
| 2- श्री दिलचन्द्र मल्लिक | पंचायत सेवक |
| 3- श्री उपेन्द्र ठाकुर | पंचायत सेवक |
| 4- श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद यादव | पंचायत सेवक |
| 5- श्रीमती सरोज कुमारी | ग्राम सेविका |
| 6- श्री प्रभाकर मिश्र | अनुसेवक |
| 7- श्री विन्देश्वर सिंह | कनीय अभियंता |
| 8- श्री सीताराम केसरी | पंचायत सेवक |
| 9- श्री गौतम किशोर गुप्ता | सहायक |

प्रधान सहायक अद्विज्ज स्थिति स्पष्ट करें कि अन्य कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि पात्रलुक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि उपलब्ध है, तो निरीक्षण के समय क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में वे अपना स्पष्टीकरण भी पुस्तिका पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

§8§ वेतन वृद्धि पंजी :-

इस पुस्तिका में वेतन वृद्धि पंजी का संघारण किया गया है एवं सभी सरकारी सेवकों का वेतन वृद्धि से संबंधित तिथि अंकित की गयी है जिससे यह पता चल सकेगा कि किस कर्मचारी को कब वेतन वृद्धि देय है, ताकि समय पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके।

§ 98 स्टायफ पंजी :-

:- 11 :-

इस प्रखंड में कार्यरत सभी कोर्ट के कर्मचारियों के संबंध में विवरणित जानकारी हेतु स्टायफ पंजी का संधारण किया गया है ।
§ 100 सेवा निवृत्त कर्मियों की पंजी :-

इस प्रखंड में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पुराने संबंधी सूचना पंजी संधारित , जिसमें भविष्य में होने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । इसे दृष्टिगत अद्यतन रखने का निर्देश दिया जाता है ।
§ 118 बन्धु चार :-

बिहार अभिलेख इस्तक के नियम 8 खण्ड § 118 एवं § 119 के अंतर्गत में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी अलग-अलग संधारित है जो प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
2000	542	818
2001	485	665
2002 § 23-12-02 § 1609	-	965 § मुख्य एवं साधारण सहित § 1

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया । इस प्रखंड में पूर्व में मुख्य एवं साधारण पत्रों के इन्फ्राज के लिए एक ही पंजी संधारित था, जिसे हाल ही में अलग-अलग किया गया है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी सतम्भ नहीं भरे गये हैं जो खेदजनक है । प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें । रक्षी संविदा में रखे जाने वाले पत्रों की प्रिविडिट लाल स्याही से किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा पत्र रक्षी संविदा में विपकाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करना सुनिश्चित करें ।
§ 128 नंबित पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख इस्तक के नियम 34 § 8 के अनुसार प्रत्येक नंबित पत्रों के लिए लूज सीट पर अलग-अलग सहायकवार सूची तैयार
लगाता... 12/-

करनी है। साथ ही इसके लिए एक केन्द्रीय पंजी भी स्थापित करना है। यह पंजी स्थापित है परन्तु विधिवत रूप से स्थापित नहीं किया गया है। लंबित पत्रों की सूची प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से घोषणा हो जाना चाहिए। पंजी में प्रतिवेदित माह की लंबित पत्रों की प्रतिवेदित करने से पूर्व गत माह के वित्तिय पत्र लंबित रह गये हों, उसे नाल रखा ही से जम्मे माह में अग्रिम कर लिया जाना चाहिए और प्रतिवेदित माह के लंबित पत्रों की प्रतिवेदित काली रखा ही से किया जाना चाहिए। उक्त पंजी से निम्नलिखित गुण्य में स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है :-

§ 58 प्रतिवेदित माह में निरूपादित पत्रों की संख्या § 48 लंबित पत्रों की संख्या § 58 अभ्युक्ति। इसके बाद यह भी रत्नम बनाना सुनिश्चित करें कि रक बर्ष से ऊपर, नौ माह से ऊपर, छः माह से ऊपर, एक माह से ऊपर एवं एक माह के अन्दर की संख्या अंकित करेंगे। निरूपादन का अर्थ है कि अन्तिम जबाब निर्गत कर देना। प्रधान सहायक इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक करना सुनिश्चित करें।

§ 138 कर्मसुस्तिका :-

प्रबंध में कार्यरत सभी सहायकों द्वारा कर्मसुस्तिका का स्धारण किया जा रहा है। श्री गौतम किशोर गुप्ता एवं श्री रिताव संतोष कुमार, सहायक के कर्मसुस्तिका का अवलोकन किया गया। श्री गुप्ता के कर्मसुस्तिका में लंबित पत्रों का ब्यौरा अंकित नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन-कौन पत्र इनके जिम्मे निरूपादन हेतु लंबित हैं। लंबित पत्रों का सत्यापन प्रधान सहायक एवं प्रबंध विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रबंध विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर सभी सहायकों के कर्मसुस्तिकाओं का निरीक्षण करें ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके।

§ 148 कार्यपत्रक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-155 के अनुसार प्रत्येक सहायक के बैठने के पीछे के स्थान के ऊपर दीवाल पर सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा स्थापित है। यह एक महत्त्वपूर्ण तालिका है। इससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संविधा का निरूपादन करते हैं।

§ 158 प्रधान सहायक नोट बुक :-

प्रधान सहायक नोट बुक स्थापित है, जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रधान सहायक द्वारा लिखी

§168 रबी संविधा :-

बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-60 एवं 120 के अनुसार रबी संविधा का संधारण किया जाता है। इस कार्यलय में रबी संविधा का संधारण किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदेश/निदेश आदि को विचकाया गया है। यह रबी संविधा सभी संबंधित सहायक के पास विषयवार रहनी चाहिए, ताकि दिये गये मार्गनिर्देश के अनुरूप वे अपने कार्यों का निपटारा नियमानुसार कर सकें। प्रकृत विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

§177 उपस्थित पंजी :-

यह पंजी विधिवत संधारित की गयी है।

§188 आकस्मिक अवकाश पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, जिसमें सभी पयविधकों/सहायकों/अनुसूचकों का आकस्मिक अवकाश रवीकृत करने के पश्चात् आकस्मिक पंजी में दर्ज किया जाता है।

§198 पंजियों की पंजी :-

इस प्रकृत में पंजियों की पंजी संधारित है। परन्तु कितने तरह की पंजियाँ इस प्रकृत में संधारित की जा रही है के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधान सहायक स्पष्ट करें कि इस प्रकृत में कितने प्रकार की पंजियाँ संधारित की जा रही है।

§208 चररासी बही :-

यह पंजी संधारित है तथा इस प्रकृत से भेजे जाने वाले पत्रों का इन्ड्रज इसमें किया जाता है।

§218 कोषागार संवाहक पंजी :-

कोषागार में विपन्न भेजने के लिए कोषागार संवाहक पंजी का संधारण किया गया है, परन्तु प्रकृत नाजीर का फोटो अभ्युभागत करार विचकाया नहीं गया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रकृत नाजीर का पासपोर्ट साईज का फोटो अभ्युभागत कर कोषागार संवाहक पंजी में चिकाना सुनिश्चित करें। कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, इंदौरपुर को आदेश दिया जाता है कि बिना फोटो सत्यापन का विपन्न पाठित नहीं करेंगे। लगातार...। 14/-

§ 22§ आवदन पंजी :-

यह पंजी नियमानुसार संघारित है ।

§ 23§ विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों की पंजी :-

इस प्रश्न में विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी का संघारण किया गया है । परन्तु कितने मामले संविधान हैं, इसका कोई विज्ञ निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है । प्रश्न विकास पदाधिकारी इस संबंध में स्पष्टि स्पष्ट करते हुए प्रमाण-पत्र दें कि एक भी मामला संविधान नहीं है ।

§ 24§ माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :-

इस प्रश्न में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले के लिए एक पंजी संघारित की गयी है । बताया गया कि एक भी मामला संविधान नहीं है ।

§ 25§ ओक्षण पंजी :-

ओक्षण पंजी इस प्रश्न में संघारित की गयी है, परन्तु कितने मामले संविधान हैं, इसका कोई विज्ञ नहीं किया गया है । प्रधानाध्यक स्पष्ट करें कि ओक्षण से संबंधित कितने मामले संविधान हैं, एवं किस वर्ष तक इस प्रश्न का ओक्षण किया गया है ।

§ 26§ वाहन का लीज बुक एवं वाहन का इतिहास पंजी :-

प्रश्न जीप हेतु एक लीज बुक संघारित है एवं वाहन का इतिहास पंजी भी संघारित है । प्रश्न विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि लीज बुक में प्रत्येक माह लेल एवं कि०मी० का ब्रेक अप सुनिश्चित करें ताकि यह पता चल सके एक माह में वाहन कि०मी० चली एवं ईंधन कितना खपत हुआ ।

§ 27§ वेतन भरणार्थ पंजी :-

विभिन्न शीर्षों के लिए वेतन भरणार्थ का संघारण किया गया है जो शीर्षवार है ।

§ 28§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने हेतु तालिका संघारित है । तत्समय प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने एवं लगातार...।

लिय यह आवश्यक है कि इसकी एक प्रति प्रह्व विक्रम पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोस्ट में एवं दूसरी प्रति प्रधान सहायक के पास रहनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा प्रतिवेदन कब और कहाँ भेजा जाता है। प्रधान सहायक इसका अनुपालन दो दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

§29§ सामान्य रोकड़ पंजी :-

सामान्य रोकड़ पंजी टी.सी.0 फारम-6 में संघारित है एवं दिनांक 21-12-2002 तक लिखा गया है। बताया गया कि यह रोकड़ पंजी दिनांक 18-3-2002 से प्रारम्भ की गयी है। पूर्व संघारित पंजी के अनुसार संवरण रोकड़ 2, 20, 93, 462=47 जैसे अग्रिणित कर इस रोकड़ पंजी में लाये गये हैं। सामान्य रोकड़ बही के अनुसार अन्तःरोध मो.0 1, 41, 15, 478=25 जैसे हैं जो अग्रिणित रूप से अधिक प्रतीत होता है। सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि कुल 29 मदों में राशि राखी गयी है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अवरोध राशि
1-	2515-सा.वि.0	86, 519=02
2-	2515-शा.वि.0	1, 11, 757=40
3-	2235-सा.सु.वि.0	4, 02, 029=60
4-	RT00000	1, 13, 543=00
5-	2236-पोषा.हार परिदहन	88, 317=25
6-	सांसद कोष योजना	14, 73, 203=00
7-	विधायक कोष योजना	16, 03, 043=76
8-	क्षम दिवत्त आयोग	88, 317=25
9-	माहृत्व लाभ योजना	30, 465=00
10-	इन्दिदा आवास योजना §80X§	38, 38, 694=27
11-	इन्दिदा आवास योजना §20X§	6, 66, 657=00
12-	सुन्यूनतम सेवा कार्यक्रम	9, 62, 964=00
13-	सुनिश्चित रोजगार योजना	12, 93, 555=00
14-	2225-कल्याण	3, 99, 330=00

लगातार.....। 6/-

15-	जवाहर रोजगार योजना	-	99, 461=00
16-	पारिवारिक लाभ योजना	-	61, 839=02
17-	2401-कुंफि	-	2, 29, 673=65
18-	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 80% एवं 20%	-	6, 49, 819=00
19-	पंचायत निर्वाचन	-	1, 26, 626=15
20-	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	-	5, 96, 516=76
21-	प्रोत्साहन भत्ता	-	7, 41, 573=00
22-	2015-निर्वाचन	-	1, 74, 995=00
23-	जनगणना	-	17, 086=35
24-	साहाय्य	-	30, 649=00
25-	2230-श्रम बेरोजगारी भत्ता	-	30, 090=00
26-	2202-श्रिधर	-	45, 874=00
27-	अन्नपूर्णा योजना	-	3, 969=00
28-	एकात्मक वित्त आयोग	-	66, 153=00
29-	व्याज	-	98, 868=00

उपर्युक्त राशि का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-	कुल :-	1, 41, 15, 478=25
कॉ बैंक राशि	-	97, 84, 221=02
अग्रिम	-	17, 26, 465=00
अभिभव	-	25, 91, 274=85
नगद	-	13, 517=38
कुल :-	1, 41, 15, 478=25	

रोज बढी के अनुसार उपर्युक्त राशि का बैंकवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	बैंक का नाम	श्रावण नं०	मद	रोज बढी के अनुसार अवशिष्ट राशि।	बैंक प्रतासुक के अनुसार अवशिष्ट राशि	मृत्यापन की तिथि	बैंक समायान विवरण के अनुसार-राशि
1-	साहाय्य बैंक, सांगरपुर	002	वर्षा	1, 17, 436=00	1, 06, 761=00	-	1, 06, 661=00
2-	सांगरपुर	2596	वर्षा	1, 72, 335=79	2, 03, 272=79	-	2, 03, 272=79

सांगरपुर... 17/-

: : 17 : :

3-	इलाहाबाद बैंक, मीरठापुर	2815-बचत खाता	ई0आवास-80%	32, 07, 708=00	22, 48, 387=00	-	22, 48, 887=00
4-	तद्वैव	2816-बचत खाता	ई0आवास-20%	6, 25, 609=00	6, 25, 609=00	18.12.02	6, 25, 609=00
5-	तद्वैव	2817-बचत खाता	सु0न्यु0नेवा	8, 24, 780=00	8, 24, 780=00	18.12.02	8, 24, 780=00
6-	तद्वैव	2818-बचत खाता	सुर0ी0यो0	7, 77, 750=00	7, 77, 750=00	18.12.02	7, 77, 750=00
7-	तद्वैव	2819-बचत खाता	ज0री0यो0	99, 244=00	99, 244=00	18.12.02	99, 244=00
8-	तद्वैव	2820-बचत खाता	भा0तुत्व लता	30, 465=00	30, 465=00	18.12.02	30, 465=00
9-	तद्वैव	2821-बचत खाता	क्षताम वित्त आयोग	74, 007=00	74, 007=00	18.12.02	74, 007=00
10-	तद्वैव	2822-बचत खाता	विधान मंडल	10, 29, 176=00	10, 29, 176=00	18.12.02	10, 29, 176=00
11-	तद्वैव	2823-बचत खाता	ख्याज	34, 486=00	34, 486=00	-	34, 486=00
12-	तद्वैव	2824-बचत खाता	रकाक्षता वित्त आ.	67, 653=00	67, 653=00	-	67, 653=00
13-	मुख्यनि से0गा बैंक, सिसवार	10-चालू खाता	सामान्य	2, 12, 414=00	2, 12, 414=00	05-07-02	2, 12, 414=00
14-	तद्वैव	24615बचत खाता	पू0आ0यो0 80% रब 20%	6, 48, 819=00	8, 08, 640=00	-	8, 08, 640=00
15-	तद्वैव-सुगापट्टी	2155-बचत खाता	विधायक कोष	5, 73, 867=00	5, 73, 867=00	-	5, 73, 867=00
16-	तद्वैव-सुगापट्टा	5824-बचत खाता	र0वृ0भंगन	1, 13, 484=00	1, 13, 484=00	27.11.02	1, 13, 484=00
17-	तद्वैव-सुगापट्टा	6003-बचत खाता	सांसद कोष	9, 72, 666=00	9, 72, 666=00	-	9, 72, 666=00
18-	तद्वैव-घोषरडीहा	19-चालू खाता	सामान्य	43, 154=20	34, 040=20	-	34, 040=00
19-	तद्वैव-अरियासंगम	28-चालू खाता	सामान्य	8, 480=08	9, 482=08	-	8, 480=08
20-	तद्वैव-अरियासंगम	3869-बचत खाता	सा0सु0भंगन	1, 36, 153=00	1, 36, 153=00	-	1, 36, 153=00
21-	तद्वैव-अरियासंगम	3879-बचत खाता	सामान्य	508=00	508=00	-	508=00
22-	स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया, इंझारपुर 1	01000050201 चालू खाता 1	सामान्य	22, 025=95	8, 21, 015=95	-	8, 22, 025=95
कुल योग :-				97, 84, 221=02	98, 04, 361=02	-	98, 04, 269=00

उपर्युक्त तालिका के अलोकन से स्पष्ट होता है कि बैंक रिकॉन्सिलियेशन कराया गया है, जिसके अनुसार क्रमांक 1, 19 एवं 22 के खाते का बैंक समाधान संवाहन के पारम्भ से करने की आवश्यकता है। रोकड़ बढी के उपर्युक्त तालिका के अलोकन से यह स्पष्ट

लगातार... 18/-

होता है कि झरका संधारण अभी भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो खेती के लिए । अधिष्ठाता द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी चालू खाला में पैना रखा जा रहा है । सभी राशियाँ की बचत खाला में रखने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया है, परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण है । रोकड़ फंडों के अन्वेषण से स्पष्ट होता है कि साठुंखोरान योजना मद में 4, 02, 029/-रुपया, राठद्वीय हुआवस्था पेशान योजना में 1, 13, 543/-रुपया, तंतिद कोष योजना मद में 14, 73, 203/-रुपया, विधायक कोष योजना मद में 16, 03, 043/-रुपया, इन्दिदा आवास योजना 80% में 38, 38, 694/-रुपया, इन्दिदा आवास योजना 20% में 6, 66, 657/-रुपया, बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम मद में 9, 62, 964/-रुपया, बुनियादी रोजगार योजना मद में 12, 93, 555/-रुपया, कल्याण मद में 3, 99, 330/-रुपया, प्रधानमंत्री ग्रामोद्य योजना 80% एवं 20% में 6, 49, 819/-रुपया, पंचायत निर्वाचन मद में 1, 26, 626/-रुपया, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मद में 5, 96, 516/-रुपया, प्रोत्साहन मत्ता मद में 7, 41, 573/-रुपया, 2015-विवर्धन में 1, 74, 995/-आदि अत्याशित रूप से पड़े हुए हैं एवं इसे खर्च करने की दिशा में कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त राशियाँ की खानबंदी कर लें कि यदि राशियाँ खर्च करने योग्य नहीं हैं, तो अक्लिम्ब कोषाधार खाला/धक द्वारा जिला कार्यालय को वापस कर दें । किसी भी शीर्ष में अनावश्यक रूप से अधिक राशियाँ अवशेष रहने के कारण विचलन की संभावना बढ़ जाती है । पोस्टाद्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी भी 88, 317/-रुपया अवशेष पड़ा हुआ है, जिसे शीघ्र विवरण करने का निर्देश दिया गया । क्षाम विरत आयोग के अन्तर्गत 88, 317/-रुपया अवशेष दिखलाया गया है, जिससे शीघ्र शीघ्र विवरण कर राशियाँ समेट कर लेने का निर्देश दिया गया । विकास कार्यों की मासिक बैठक में बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत राशियाँ जिला कार्यालय को वापस नहीं किया गया है, जो खेद की बात है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत अवशेष राशियाँ 9, 62, 964/-रुपया अक्लिम्ब जिला कार्यालय को वापस करें । इन्दिदा आवास योजना 80% के तहत बहुत अधिक राशियाँ अवशेष पड़ी हुई है, जिसका मुगलान लक्ष्मण के शीघ्र कर अक्लिम्ब मुगलान करना सुनिश्चित करें । पंचायत चुनाव मद में 1, 26, 626/-रुपया अवशेष पड़ा हुआ है, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाय । यदि राशियाँ की आवश्यकता न हो तो उसे जिला पंचायत कार्यालय को वापस किया जाय । प्रोत्साहन मत्ता मद में 7, 41, 573/-रुपया अवशेष दिखलाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी से बताया कि दो वर्षों से राशियाँ का समायोजन नहीं हो रहा है । इसमें वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ सरकार की राशियाँ के गबन होने की संभावना

Mo

से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में तत्कालीन प्रकृत विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अभिवृद्धि की रकम पर समाधान एक सप्ताह के अन्दर कार्यक्रमवार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, विधायक/पार्षद कीर्षा योजना के तहत अभी भी अलग-अलग बैंक जाता नहीं करे।

₹508 अग्रिम :-

रोकड़ बढ़ी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्यायी अग्रिम के रूप में विभिन्न सरकारी सेवकों को कुल 17,26,465=00 रूपया अग्रिम स्वरूप दी गयी है, जो बहुत बड़ी राशि है। विभिन्न सरकारी सेवकों को दी गयी अग्रिम की राशि निम्नवत है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम की तिथि	अग्रिम का प्रयोजन
1-	श्री विजय नागलदास	कनीय लेखालिपिक	27,500=00	23-07-2001	अग्रिम का प्रयोजन देतन अग्रिम।
2-	श्री जगदीश कुमार कर्ण	सहायक	63,131=00	06-04-2002	छात्रवृत्ति मुगलान हेतु।
3-	श्री कपिलदेव शिन्धेदी	जनसेवक	2,100=00	30-03-2002	पेशान मुगलान हेतु।
4-	श्री राम नागराम	पंचायत सेवक	43,050=00	18-01-2002	तैवेव
5-	श्री नारायण यादव	पंचायत सेवक	9,000=00	25-01-2002	तैवेव।
6-	श्री अवध बिहारि सिंह	यादव-से0नि0प्र0वि0प्रदा0	10,000=00	02-10-2000	-
7-	श्री अजुल कलाम	पंचायत सेवक	3,600=00	02-10-2000	-
8-	श्री सीताराम यादव	जनसेवक	500=00	02-10-2000	-
9-	श्री रामेश्वर प्रोवमर्	पंचायत सेवक	62,595=00	05-02-2002	पेशान बिलरपट हेतु।
10-		अंश अधिकारी, फुलपरास	400,000=00	17-08-2002	राहत बिलरपट हेतु।
11-	श्री धरुवी मोदी	प्र0क0प्रदाधिकारी	7,953=00	20-04-2002	छात्रवृत्ति मुगलान हेतु।
12-	श्री मंडन मिश्र	ग्राम पं0 पयधिक	1,500=00	02-07-2002	यात्रा अग्रिम।
13-	श्री शरित शंखर राय	प्र0श्री0प्र0प्रदाधिकारी	261,043=00	18-09-2001	प्रोत्साहन भत्ता हेतु।

लगातार.....20/-

14-	श्री विजय कुमार सिंह	प्रोफेसर	2, 61, 043=00	18-09-2001	प्रोफेसर भत्ता हेतु ।
15-	श्री भोजेन्द्र राय	प्रोफेसर	500=00	24-11-2000	यात्रा अग्रिम हेतु ।
16-	श्री उषेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक	5, 500=00	22-11-2002	यात्रा अग्रिम हेतु ।
17-	श्री योगा राउत	पंचायत सेवक	12, 200=00	02-07-2002	यात्रा अग्रिम हेतु ।
18-	श्री राम उदयार यादव	पंचायत सेवक	1, 700=00	22-11-2002	तद्वैव ।
19-	श्री सुभा लाल भोवी	पंचायत सेवक	700=00	27-11-2002	तद्वैव ।
20-	श्री विवेन्द्र कुमार यादव	पंचायत सेवक	1, 07, 000=00	17-07-2002	तद्वैव ।
21-	श्री बिलवन्दु मल्लिक	पंचायत सेवक	85, 500=00	22-11-2002	तद्वैव ।
22-	श्री सुभावर यादव	पंचायत सेवक	38, 000=00	17-07-2002	तद्वैव ।
23-	श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव	पंचायत सेवक	1, 900=00	04-12-2002	तद्वैव ।
24-	श्री सत्य नागा	राजस्व कर्मचारी	12, 500=00	27-08-2002	तद्वैव ।
25-	श्री राजेन्द्र प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	1, 00, 100=00	19-07-2002	तद्वैव ।
26-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	राजस्व कर्मचारी	16, 500=00	22-11-2002	यात्रा अग्रिम हेतु ।
27-	श्री विवेक्षवर सहनी	कनीय अभियंता	2, 500=00	09-10-2001	यात्रा अग्रिम हेतु ।
28-	श्री रमेश राविकुमार राय	कनीय अभियंता	1, 750=00	22-10-2001	यात्रा अग्रिम हेतु ।
29-	श्री प्रेम चन्द्र लाल दास	अनुसूचित	20, 533=00	27-02-2002	यात्रा अग्रिम हेतु ।
30-	श्री प्रभात कुमार बनैता	अनुसूचित	12, 250=00	17-12-2001	यात्रा अग्रिम हेतु ।
31-	श्री ललन मिश्र	सचिव, नाट्यार्थ धर्म, युवापट्टी	363=00	04-04-2001	यात्रा अग्रिम हेतु ।
32-	श्री बच्चन सिंह	प्रोफेसर	2, 732=00	04-04-2001	यात्रा अग्रिम हेतु ।
33-	श्री मोद नागा	प्रोफेसर	5, 553=00	04-04-2001	तद्वैव ।
34-	श्री विवेक्षवर यादव	प्रोफेसर	2, 367=00	04-04-2000	तद्वैव ।
35-	श्री भागवत यादव	प्रोफेसर	4, 315=00	04-04-2000	तद्वैव ।
36-	श्री गौरी शंकर मिश्र	प्रोफेसर	4, 763=00	04-04-2000	तद्वैव ।
37-	श्री 0 कार्दर अंशारी	प्रोफेसर	6, 863=00	04-04-2000	तद्वैव ।
38-	श्री मिथिलेश कुमार	प्रोफेसर	636=00	04-04-2000	तद्वैव ।
39-	श्री रघुनन्दन मोदी	प्रोफेसर	917=00	04-04-2000	तद्वैव ।

:: 21 ::

40-	श्री कामेश्वर यादव	प्र०अ०, प्र०वि०सिनौलिया	650=00	04-04-2000	प्रोत्साहन भत्ता सुगतान हेतु । तैदिव ।
41-	श्री शिव कुमार मंडल	सॉरिटावि०बेरियाही	2, 447=00	04-04-2000	तैदिव ।
42-	श्री यश प्रसाद यादव	प्र०अ०, प्र०वि०भोसही	3, 800=00	04-04-2000	तैदिव ।
43-	श्री योग नाथ्यादव	प्र०अ०, प्र०वि०सैनी	3, 694=00	04-04-2000	तैदिव ।
44-	श्री राम नाथ्यादव	प्र०अ०, प्र०वि०पुरवाला	5, 143=00	04-04-2000	तैदिव ।
45-	श्री योगेश्वर प्र०मंडल	प्र०वि०बधनाहा	4, 283=00	04-04-2000	तैदिव ।
46-	श्री जैव नाथोची	प्र०अ०, प्र०वि०शहराही	2, 736=00	04-04-2000	तैदिव ।
47-	श्री बंग बहादुर यादव	प्र०अ०, प्र०वि०फलकहाही	4, 212=00	04-04-2000	तैदिव ।
48-	श्री जुही सदाय	प्र०अ०, प्र०वि०कटावाला	630=00	04-04-2000	तैदिव ।
49-	श्री राम बहादुर सिंह	प्र०अ०, प्र०वि०बालाबाखर	1, 824=00	04-04-2000	तैदिव ।
50-	श्री रामकृष्ण यादव	प्र०अ०, सुसहर निया	4, 095=00	04-04-2000	तैदिव ।
51-	श्री रामऔतार साह	प्र०वि०प्र०वि०इन्दर मंडलतीन	3, 468=00	04-04-2000	तैदिव ।
52-	श्री गोपाल प्र०देव	प्र०सह०प्र०वि०बलुआ	908=00	04-04-2000	तैदिव ।
53-	श्री सुर्य नाथ्यादव	प्र०अ०, प्र०वि० भैरही	3, 046=00	04-04-2000	तैदिव ।
54-	श्री जगदीश ठाकुर	प्र०अ०, म०वि०बधनाहा	7, 027=00	04-04-2000	तैदिव ।
55-	श्री शोभित पासवान	प्र०अ०, प्र०वि० भरहा	2, 296=00	04-04-2000	तैदिव ।
56-	श्री रामचन्द्र यादव	प्र०अ०, क०म०वि०पतिसवावाही	5, 525=00	04-04-2000	तैदिव ।
57-	श्री अली हसन,	प्र०अ०, प्र०वि०हसनपुर	8, 066=00	04-04-2000	तैदिव ।
58-	श्री प्रेम कुमार झा	प्र०अ०, प्र०वि०सुरियाही	1, 005=00	04-04-2000	तैदिव ।
59-	श्री उपेन्द्र यादव	प्र०अ०, प्र०वि०सिसौनी	1, 957=00	04-04-2000	तैदिव ।
60-	श्री सर्वद साफी	प्र०अ०, प्र०वि०भरहा सिसवावा	5, 502=00	04-04-2000	तैदिव ।
61-	श्री हसन साफी	प्र०अ०, प्र०वि०वतराटोल	2, 159=00	04-04-2001	तैदिव ।
62-	श्री रामलखन मंडल	प्र०अ०, प्र०वि०बौअरवा	2, 566=00	04-04-2001	तैदिव ।
63-	श्री गजानन्द यादव	प्र०अ०, म०वि०पतिसवावा	5, 067=00	04-04-2001	तैदिव ।
64-	श्री विष्णुदेव राय	प्र०अ०, प्र०वि०गोरगाभा	1, 827=00	04-04-2001	तैदिव ।
65-	श्री रामशरण यादव	प्र०अ०, प्र०वि० हरिपरी	8, 460=00	04-04-2001	तैदिव ।
66-	श्री भोला साफी	प्र०अ०, प्र०वि० रतौ निया	3, 559=00	04-04-2001	तैदिव ।

नगात्तर...22/-

		:: 23 ::				ग्रीष्म ऋतु	
94-	श्री रामचन्द्रस्य मंडल	मण्डल					
95-	श्रीमती जयन्ती कुमारी	श्रीमती					
96-	श्री रंजीत कुमार झा	श्री					
97-	श्री कामेश लाल यादव	श्री					
98-	श्री परमेश्वर यादव	श्री					
99-	श्री सियारारण मंडल	श्री					
100-	श्री लक्ष्मण मंडल	श्री					
101-	श्री उपेन्द्र लक्ष्मण	श्री					
102-	श्री शंकर लाल पासवान	श्री					
103-	श्री बालदेव मोदी	श्री					
104-	श्री रामकृष्ण पासवान	श्री					
105-	श्री गणेश चंद्र झा	श्री					
106-	श्रीमती चन्द्रकला देवी	श्री					
107-	श्री रामाकांत झा	श्री					
108-	श्री दिनेश्वर प्रसाद	श्री					
109-	श्री लक्ष्मण मोदी	श्री					
110-	श्री सियासत हुसैन	श्री					
111-	श्रीमती सुरती देवी	श्री					
112-	श्री उपाध्याय	श्री					
113-	श्री हरिनन्दन ठाकुर	श्री					
114-	श्री नारायण राम	श्री					
115-	श्री रामकृष्ण यादव	श्री					
116-	श्री विन्देश्वर यादव	श्री					

कुल :- 17, 26, 465=00

लगातार... 24/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी राशि ज्यादातर प्रोत्साहन भन्ता वितरण/भरण वितरण मद में अग्रिम स्वरूप विभिन्न सरकारी सेवकों को दिया गया है, परन्तु राशि वसूली अथवा समायोजन की दिशा में इस कार्यालय द्वारा कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है। सरकार द्वारा जलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वितों को भुगतान हेतु जो अग्रिम का भुगतान किया गया है, वो सकता है उसका अभिभव कार्यालय में जमा कर दिया गया हो, परन्तु उसका समायोजन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अग्रिम की सूची के क्रमांक-29 में श्री प्रेम चन्द्र लाल दास, अनुसेवक को दिनांक 27-02-2002 को वेतन अग्रिम स्वरूप मो० 20,553/-रुपया दिया गया है। इतनी बड़ी राशि वेतन अग्रिम के रूप में देने का क्या औचित्य है, जबकि अनुसेवक का एक माह का वेतन अधिकतम 5000/-रुपया ही होता है। प्रुंड विकास पदाधिकारी अदिलनब स्थिति स्पष्ट करें। क्या श्री दास द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन किया गया है। यदि नहीं किया गया है, तो अदिलनब समायोजन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार श्री विजय नाOLनाल दास, कनीय लेखा लिपिक द्वारा दिनांक 23-7-2001 को वेतन अग्रिम के रूप में मो० 27,500/-रुपया लिया गया है, परन्तु इसका समायोजन हुआ अथवा नहीं, इसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। अग्रिम लेने वालों की सूची के क्रमांक-2 में श्री जगदीश कुमार कर्ण, सहायक को दिनांक 6-4-2002 को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु मो० 63,131/-रुपया अग्रिम दिया गया है। कार्यालय सहायक को इतनी बड़ी राशि अग्रिम स्वरूप देने का क्या औचित्य है। यह कार्य तो पंचायत सेवक/जनसेवक के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रुंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में कार्यालय सहायक को योजना की राशि भुगतान हेतु आग्रम स्वीकृत नहीं किया जाय। अग्रिम समायोजन का मुख्य दायित्व प्रधान सहायक/प्रुंड नाजीर नाजीर का है, परन्तु उनके द्वारा वसूली हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। प्रुंड विकास पदाधिकारी/पुधान सहायक/प्रुंड नाजीर को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम की वसूली हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि को राशि का समायोजन अथवा वसूली नहीं हो पाती है, तो संबंधित सरकारी सेवकों के वेतन से राशि काटकर समायोजन किया जाय। अस्थायी अग्रिम के रूप में इतनी बड़ी राशि का समायोजन नहीं होना, गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का द्योतक है। अनुमण्डल पदाधिकारी, कुलपरास को भी निर्देश दिया जाता है कि अस्थायी अग्रिम की राशि की वसूली की दिशा में साप्ताहिक बैठक में भाग लेकर इसकी समीक्षा करें एवं वसूली सुनिश्चित करावें।

§ 318 अभिभव :-

इस प्रुंड में अभिभव के रूप में मो० 25,91,974=85रुपये की राशि सन्निहित है, जिसका सामंजन नहीं हुआ है।

AD

लगता है...25/-

बताया गया कि आवंटन के अभाव में इसका समायोजन नहीं हो पा रहा है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणों में वर्ष 1989-90 से 2002-03 21-12-2003 तक का वर्षवार/राजीववार असमायोजित अभिवर्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मो 0 25, 91, 214/- स्वयं वसूलीत किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि असमायोजित अभिवर्षों के विवरण राशि के आवंटन हेतु सरकार से अनुरोध करें ताकि समायोजन संभव हो सके। इतनी बड़ी संख्या में राशि असमायोजित रहने में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजीववार/वर्षवार असमायोजित अभिवर्षों का विवरण परिशिष्ट नं० पर अवस्थित है।

§32§ राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

प्रकृत विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रकृत में इस योजना के अन्तर्गत अगिल-2002 से दिसम्बर, 2002 तक प्रतिमाह 475 किंटन खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है, परन्तु राज्य खाद्य निगम से मात्र 459.03 किंटन खाद्यान्न प्रतिमाह आपूर्ति की जा रही है। माह-जून, 2002 का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही राज्य खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति की गयी है। माह-नवम्बर, 2002 का भी राज्य खाद्य निगम, मधुबनी द्वारा आपूर्ति की जा चुकी है, जिसका वितरण लगभग-वर्षों के बीच की जा चुकी है।

§33§ प्रोत्साहन भत्ता :-

इस योजना के तहत रोकड़ बढी के अनुसार 1-4-2002 को मो 0 6, 35, 000/- स्वयं अवशेष दिखलाया गया है। वर्ष 2002-03 में प्राप्त मो 0 1, 20, 000/- स्वयं लेकर कुल 7, 55, 000/- स्वयं के विवरण प्रकृत प्रसार पदाधिकारी एवं निरीक्षणों को अभिलेखित भत्ता वितरण हेतु दिया गया है परन्तु कार्यालय में अभिलेखित प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सामान्य रोकड़ पंजी में उन्मुख नहीं किया गया है। बताया गया कि प्रकृत प्रसार पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त अभिलेखित निरीक्षण के दो दिन पूर्व समर्पित किया गया है, जिसको जॉय की जा रही है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रकृत प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने अनिवार्य से अवगत करावे।

§34§ दसम वित्त आयोग के तहत जमायी जा रही योजना :-

दसम वित्त आयोग के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में राज्यालय निर्माण की 18 योजनाएँ स्वीकृत हुई थी, जिनमें

14 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। शेष 4 योजनाएं प्रगति पर है। इस मद में 56,000/-रुपया आवंटित है, जो नवित योजनाओं के पूर्ण होने पर व्यय किया जायगा।

1358 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-
बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की 5 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की 3 कुल 8 योजनाओं के विवरण मात्र

3 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं शेष 5 योजनाएं नवित है। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत कुल 42,128 लाख के विवरण 27,02 लाख व्यय किये गये हैं। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर नवित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें।
1368 विधायक/पार्षद कोष योजना :-

इस प्रकृत में विधायक/पार्षद कोष योजना अन्तर्गत कुल 19 योजनाओं के विवरण 9 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 10 योजनाएं नवित है। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत मो 0 33,036 लाख के विवरण अभी तक 17,01 लाख रुपया व्यय किया गया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर नवित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें।

1378 सुनिश्चित रोजगार योजना :-
इस योजना के अन्तर्गत कुल 19 योजनाओं के विवरण 12 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है एवं 7 योजनाएं नवित है। कुल 28.29 लाख प्रकृत आवंटन के विवरण अभी तक 15.37 लाख रुपया व्यय किया गया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर अर्द्ध योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अतिशेष संख्या 13/95-96 प्रोटोविटैरियाही के भवन निर्माण का अवलोकन किया गया। इस अतिशेष पर दिनांक 30-4-95 को कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कुल प्राकृतित राशि 1,29,400/-रुपया है, जिसकी स्वकीकृति उप विकास आयुक्त, मधुबनी के पत्रांक 88 दिनांक 8-4-95 द्वारा प्रकृत है, परन्तु अतिशेष में स्वकीकृत्यादेश की प्रति संलग्न है। इस योजना के

लगातार... 27/-

लिय अभिकर्ता के रूप में श्री सरयुग प्रसाद यादव, पंचायत को नियुक्त किया। अभिकर्ता को अग्रिमरूप 60,000/-रूपया दिनांक 8-5-95 को दिया गया था। इनके द्वारा लिटर रतार तक कार्य किया गया। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा इसकी मापनी नहीं ली गई, क्योंकि कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया था। इस अभिलेख में दिनांक 24-7-2000 को सहायक अभियंता द्वारा यह निदेशांकित किया गया है कि कार्य विरिष्टियों के अनुरूप नहीं है, अतः भवन तोड़ने कायुक्ताव दिया गया है। जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार इस योजना को नये लिये से निर्माणा हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया, जिस पर त्वीकृत्यादेशा उप विकास आयुक्त, मधुबनी के आदेशा ज्ञापनांक 268/जि०शा०वि०अ०, मधुबनी, दिनांक 30-1-2002 द्वारा प्राप्त है। पुनरीक्षित प्राक्कलन 2,36,000/-रूपया है। प्रधान सहायक ने बताया कि पूर्व अभिकर्ता श्री सरयुग प्रसाद यादवसेवानिवृत्त हो गये हैं, उनसे अग्रिम कीराशिा सूद समेत 1,08,120/-रूपया के लिये वसूली की कार्रवाई की गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने हेतु श्री युगेवर यादव को 25,000/-रूपया दिनांक 8-2-2002 को अग्रिम दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देशा दिया जाता है कि श्री युगेवर यादव, पंचायत सेवक पर अग्रिम लेकर कार्य नहीं करने के लिये स्थानीय याना में प्राथमिकी दर्ज करें एवं पी०डी०आर० रकट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

§38§ इन्दिटा आवास योजना§80X§:~

इन्दिटा आवास योजना 80X के तहत गत वर्ष के लिवित 349 इकाई को लेकर कुल 465 इकाई आवास के विरुद्ध अभी तक मात्र 146 इकाई में कार्य पूर्ण है। लिवित इकाई 319 में से 105 इकाई में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रकृत विकास पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने हुए अविश्लब्ध कायदिशा निर्गत कर अनुवर्ती कार्रवाईकी जायेगी। इस योजना के तहत इस प्रकृत को कुल प्राप्त आवंटन 59,314 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 20.92 लाख रूपया ही व्यय किये गये हैं, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। विकास कार्याकी मासिक बैठक में बार-बार निर्देशा दिये जाने के बावजूद भी इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देशा दिया जाता है कि कैम्प आयोजित कर रराशिा वितरण करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुमानित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इन्दिटा आवास से संबंधित योजना पंजी पंचायत वार संघारित की गई है एवं पंचायतद्वारा ही योजना संघार दी जाती है। इन्दिटा आवासों की सूची तैयार की गयी है, जिसके अनुसार कुल 454 आवास योजना लिवित है। वर्ष 1998-99 के पूर्व 146 योजनाओं की पहचान कर निर्देशा के आलोके में दिनांक 5-12-2002 के द्वारा नोडिस निर्गत की गई है। परन्तु अभी तक नीलाम लयातार.....23/-

पर दायर नहीं किया गया है। नोटिस एक साथ बंडल बनाकर रखा गया है। अभिलेख में भी इस आशय की प्रविष्टि नहीं की गई है। प्रुंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख में इसकी प्रविष्टि कर नोटिस अभिलेख के साथ संलग्न करें तथा स्टेडिफिकेड और पारित करते हुए अभिलेख की कार्टवाइज बन्द कर रार्डिंग की वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद दायर करें।

§ 39 § इन्दिटा आवास योजना § 20X § :-

इन्दिटा आवास योजना § 20X § के तहत इस प्रुंड में गल वर्ड की लंबित 92 इकाई को लेकर कुल 150 इकाई के विरुद्ध मात्र 43 इकाई में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो पाया है एवं शेष लंबित 107 में से 57 में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन 9.385 लाख के विरुद्ध मात्र 2.71 लाख रुपया ही व्यय किया गया है। स्थिति नार्मान है। प्रुंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कैम्प आयोजित कर रार्डिंग विलम्ब करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

§ 40 § बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम :-

निररीक्षण के क्रम में पाया गया कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत कुल लंबित योजना 132 है। प्रुंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसका भौतिक स्थापन कराया जा रहा है। शेष लाभान्वितों पर नोटिस निर्गत कर नीलाम-पत्र वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि नोटिस निर्गत की गई है, परन्तु अभिलेख पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जो गंभीर विषय है। प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रुंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से तमर्षित करें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस मद में 9.629 लाख रुपया अवशेष पड़े हुए हैं, जिसे अचिलम्ब जिला कार्यालय को वापस लौटाने का निर्देश दिया जाता है।

§ 41 § प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना § 80X § :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 X मद में कुल 32 इकाई में से 18 इकाई में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण एवं 14 इकाई में कार्य प्रगति पर है, बताया गया। कुल प्राप्त आवंटन 5.39 लाख के विरुद्ध 3.08 लाख रुपया व्यय हो पाया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि लंबित योजनाओं की सूची तैयार नहीं की गयी है, जिसे अचिलम्ब तैयार करने का निर्देश दिया गया। प्रुंड विकास

पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अर्णुप योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

§42§ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20x§ :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20x§ के अन्तर्गत 17 इकाई के विरुद्ध 6 इकाई में कार्य पूर्ण हो गया है एवं शेष 11 इकाई में कार्य प्रगति पर है । बताया गया कि इस में कुल प्राल्त आवंटन 1.60 लाख के विरुद्ध 0.72 लाख र्थ हो पाया है । प्रकृत दिक्त पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अर्णुप योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

§43§ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना §सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-धारा-11§ :-

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कुल 8.751 लाख संसाधन के विरुद्ध 5.537 लाख रूपया व्यय किया गया है एवं 608 क्विंटल गेहूँ का भी खपत किया गया है । बताया गया कि कुल 150 योजनाओं के विरुद्ध 106 योजनाएं पूर्ण हैं, जिसमें 12 योजनाएं अनुसूचित जाति के प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं से संबंधित है ।

§44§ राष्ट्रीय हलाकस्था प्रेशन :-

राष्ट्रीय हलाकस्था प्रेशन योजना मद के अन्तर्गत 756 लाभान्वितों को माह-नवम्बर, 2002 तक प्रेशन भुगतान हो चुका है । कुल 6.818 लाख के विरुद्ध 5.683 लाख रूपया व्यय हो चुका है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सभी 14 पंचायतों के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण किया गया है । मूल प्रेशनधारियों के नाम के सामने लाल से कटखू किया गया है । मूल प्रेशनधारियों का पूर्ण त्थौरा तैयार कर अनुमण्डल पदाधिकारी के पास सूची रदद करने हेतु भेजा जाना चाहिए, जिसे नहीं भेजा जा रहा है । प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जैसे मूल प्रेशनधारियों की सूची का पूर्ण त्थौरा तैयार कर अनुमण्डल पदाधिकारी के पास रदद करने हेतु भेजे एवं उसकी एक प्रति जिला कार्यालय को भी भेजा जाय । रवीकुत्यादेश की प्रति अलग-अलग पंचायतवार रखी संविचका में रखने का निर्देश दिया जाता है ।

§45§ राज्य सामाजिक सुरक्षा प्रेशन :-

इस प्रकृत में कुल प्रेशनधारियों की संख्या 715 है जिनमें 30-11-2002 तक प्रेशन का भुगतान किया जा चुका है । इस

नगातर...30/-

इस योजना के तहत सभी 14 पंचायतों के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण सही ढंग से किया गया है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होना शुरू देशान प्राप्ति के निशान पर पहचानकर्ता का हस्ताक्षर कहीं-कहीं नहीं किया गया है, जिसका अनुपालन भविष्य में प्रकृत विकास प्रदायिकाएँ करना सुनिश्चित करें। देशान स्वीकृत्यादेश को एक पंजी में रखा गया है, जिसे अलग-अलग पंचायतवार रक्षी संविधा में रखने का निर्देश दिया जाता है।

1466 राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :-

प्रकृत विकास प्रदायिकाएँ ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सभी महिलाओं को राशि का भुगतान किया जा चुका है। पंचायत सेवकों द्वारा लिये गये अभिग्रह के विरुद्ध अभिभव समर्पित नहीं करने के कारण कुल 29, 800/-रुपया का समायोजन नहीं हो पाया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सभी 14 पंचायत के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कुल 12 उपलब्ध पंजियों की जाँच की गयी, एवं सही पाया गया। पंजी में लाभाधिक्यों के नाम के साथ उम्र का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। प्रकृत विकास प्रदायिकाएँ इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त स्वीकृत्यादेश की पंचायतवार अलग-अलग रक्षी संविधा में संधारण करना सुनिश्चित करें।

1471 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-

प्रकृत विकास प्रदायिकाएँ ने बताया कि इस योजना-अन्तर्गत मात्र 6 मामले स्वीकृत हुए थे, जिन्हें प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये भुगतान किये गये हैं। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एक भुगतान पंजी का संधारण किया गया है, जिसमें सभी सूचनाओं को अंकित किया गया है, भुगतान एक द्वारा नियमित रूप से किया गया है एवं कोई दावा नवित नहीं है। इसके अतिरिक्त भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेशों को रक्षी संविधा में संधारण किया जा रहा है।

1481 अन्नपूर्णा योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत मासिक आवंटन वाला 13.28 किंटल, गेहूँ 19.92 किंटल है। बताया गया कि माह-नवम्बर, 02 तक आवंटित खाद्यान्नों का उठाव राज्य खाद्य निगम से किया जा चुका है। माह-अगस्त, 2002 तक का वितरण हो चुका है एवं शेष माह के लिए वितरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रकृत विकास प्रदायिकाएँ को निर्देश दिया जाता है कि वितरण की कार्यवाही अक्टूबर लगातार... 31/-

सुनिश्चित करें ।

:: 31 ::

§49§ कल्याण:-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 7 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को आवंटित छात्रवृत्ति का मुलान किया जा चुका है । वर्ष 1 से 6 तक के छात्र/छात्राओं के लिए राशि ग्राम पंचायतों को विभक्त किया जा चुका है । मात्र महयौर, भैरवाड़रिया एवं बधनाहा पंचायत से छात्रवृत्ति वितरण की सूचना प्राप्त है एवं रोज को इस कार्यालय के पत्रांक 934 दिनांक 17-12-2002 द्वारा स्मारित किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि पंचायत के मुखिया द्वारा राशि वितरण नहीं की जाती है, तो संबंधित मुखियाके विरुद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाय । साथ ही इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी की जाय । इसके अग्रवणत सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो खेद की बात है ।

§50§ निदर्श :-

कुल निलाकर इस प्रखंड का कार्यकालप संतोषप्रद कहा जा सकता है । मुख्य रूप से अस्थायी अग्रिम एवं अभिव की राशि के समायोजन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । प्रधान सहायक एक अनुभवी एवं दक्ष सहायक हैं । प्रखंड नाजीर को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम की वसूली की दिशा में सभी संबंधित को नोटिस निर्गत करते हुए वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें । विभिन्न चालू खाता को बन्द किया जाय एवं राशि बचत खाता में रखा जाय । सभी कार्यक्रम के लिए एक पासबुक, एक चेक बुक एवं एक सहायक रोकड़ बही का संचारण सुनिश्चित किया जाय । इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन यदि किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रखंड के कार्यकालप में और भी सुधार आने की संभावना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-समय के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

EO/-डT0बीORजेन्दर,

जिला पदाधिकारी,
सुबनी ।

सगातार...32/-

:: 32 ::

ज्ञाप संख्या ४८४

। जिला विकास, मधुबनी, दिनांक २५ फरवरी, 2003 ई०।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, कुलपरगस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुलपरगस को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

M. K. Mandal
23.2.2003

क्रमांक वर्ष

संविदर आवाज

कलम योजना

विधायक कोष

राज्य भू

जमा - प्रत्य

वर्ष 2015-16

2515-11

राज्य

कार्यालय

राज्य भू

कार्यालय

कार्यालय

कार्यालय

कार्यालय

राज्य वार - वर्षवार आवाजो कलम योजना वार वार का विवरण :-

राज्य- गुणवत्ता 1 क्रमांक 21.12.02 तक

क्रमांक	वर्ष	संविदर आवाज	कलम योजना	विधायक कोष	राज्य भू	जमा - प्रत्य	वर्ष	2015-16	2515-11	राज्य	कार्यालय	राज्य भू	कार्यालय	कार्यालय	कार्यालय
1.	19989-90	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	13	14	15	
2.	1990-91	-	-	-	-	-	-	-	2181.76	-	-	-	-	-	
3.	1991-92	155000	-	-	-	-	-	-	19346.00	9086.71	-	-	-	2181.76	
4.	1992-93	37160	45000	35000	119000	-	-	-	35537.45	13015.58	-	-	-	28432.71	
5.	1993-94	-	-	-	-	-	-	-	71491.40	116482.55	-	-	-	203553.03	
6.	1994-95	-	-	-	-	-	-	-	37437.85	68241.96	780	-	-	324133.95	
7.	1995-96	-	-	-	-	-	-	-	31545.00	184306.50	2625	-	-	106459.81	
8.	1996-97	-	-	-	-	-	-	-	57581.30	133885.70	-	-	-	218476.50	
9.	1997-98	-	-	-	-	-	-	-	88785.68	272971.92	-	-	-	191467.00	
10.	1998-99	-	-	-	-	-	-	-	34442.47	50374.16	-	-	-	361757.60	
11.	1999-2000	-	-	-	-	-	-	-	19687.96	8626.50	-	-	-	84816.63	
12.	2000-01	-	-	-	-	-	-	-	62586.00	70815.90	-	-	-	34139.56	
13.	2001-02	-	-	-	-	-	-	-	129835.15	10512.00	-	-	-	138725.90	
14.	2002-03	37160	200000	35000	119000	131873	21210.10	39200	148379.70	174675.55	5643	2500	3000	150408.15	
कुल:									95875.40	52651.60	21574	68400	3000	241451.00	
									832481.36	1167828.39	30822	70900	6000	2591274.95	

राज्य विकास एवं विद्युत विभाग
 8/12/2022
 3M